संख्या : 48/2015/930/छप्पन-15-94/2013 टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 03 जुलाई, 2015

विषय : नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट में सम्मिलित करने हेतु एक नये ट्विन इंजन टर्बोप्राप वायुयान के क्रय हेतु अवशेष धनराशि (70 प्रतिशत) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 266/ना0उ0नि0/2015, दिनांक 04-6-2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 10/2015/434/छप्पन-15-94/2013 टी0सी0, दिनांक 20-3-2015 तथा शासनादेश संख्या- 26/2015/513/ छप्पन-15-94/2013 टी0सी0, दिनांक 31-3-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 20-3-2015 द्वारा निर्माता कम्पनी **M/s. Beechcraft (Textron Aviation) U.S.A.** से विक्रय मूल्य 6,700,000-00 यू0एस0 डॉलर (बैंक चार्जेज सहित रूपये 65/- प्रति यू0एस0 डॉलर की दर से रूपये 43,55,00,000-00) पर **King Air 250 (Model B-200 GT)** वायुयान के क्रय की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए कुल मूल्य की 30 प्रतिशत धनराशि रूपये 13,06,50,000-00 के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31-3-2015 द्वारा वायुयान क्रय हेतु अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में संगत मद में अप्रयुक्त धनराशि रूपये 39,92,75,000-00 (रूपये उनतालिस करोड़ बानबे लाख पचहत्तर हजार मात्र) को उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या- 8443-001 में जमा किया गया है।

2- क्रय अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वायुयान के कुल मूल्य की अवशेष 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान **Wichita Kansas, U.S.A.** में वायुयान के **Technical Acceptance** के समय किया जाना है। वायुयान का **Technical Acceptance** दिनांक 28-7-2015 से 05-8-2015 के मध्य निर्धारित है। **Technical Acceptance** के पश्चात वायुयान के कुल मूल्य का 60 प्रतिशत धनराशि 40,20,000-00 यू0एस0डालर(बैंक चार्जेज सहित रूपये 65/-प्रति यू0एस0 डॉलर की दर से रूपये 26,13,00,000-00) का भुगतान वायरट्रांसफर के माध्यम से निर्माता कम्पनी को किया जाना है।

-------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तत्पश्चात वायुयान फेरी फ्लाइट करके भारत में आ जायेगा और यहाँ आने के बाद भारतीय सर्टीफिकेट आफ एयरवर्दीनेस (सी0 आफ ए0) प्राप्त करते ही अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि 6,70,000-00 यू0एस0डालर (बैंक चार्जेज सहित रूपये 65/- प्रति यू0एस0 डॉलर की दर से रूपये 4,35,50,000-00) का भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से किया जाना है अर्थात वायुयान के कुल मूल्य की 70 प्रतिशत अवशेष धनराशि 4690000-00 यू0एस0डालर (बैंक चार्जेज सहित रूपये 65/-प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रूपये 30,48,50,000-00) के निर्माता कम्पनी को भुगतान हेतु उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8443-001 में जमा कुल धनराशि रूपये 39,92,75,000-00 (रूपये उनतालिस करोड़ बानबे लाख पचहत्तर हजार मात्र) से आहरण की स्वीकृति अपेक्षित है।

3- अतः राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नये ट्विन इंजन टर्बोप्राप वायुयान **King Air 250 (Model B-200 GT)** के क्रय हेतु निर्माता कम्पनी **M/s. Beechcraft (Textron Aviation) U.S.A.** को वायुयान के कुल मूल्य रूपये 43,55,00,000-00 के सापेक्ष अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु रूपये 30,48,50,000-00 (रूपये तीस करोड़ अड़तालिस लाख पचास हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या- 8443-001 में जमा कुल धनराशि रूपये 39,92,75,000-00 से करके निर्माता कम्पनी को भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 30,48,50,000-00 में से रूपये26,13,00,000-00 (रूपये छब्बीस करोड़ तेरह लाख मात्र) का भुगतान वायुयान **King Air 250 (Model B-200 GT)** का **Technical Acceptance** होने के पश्चात निर्माता कम्पनी को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वायरट्रांसफर के माध्यम से किया जाय।

(2) निर्माता कम्पनी को रूपये 26,13,00,000-00 (रूपये छब्बीस करोड़ तेरह लाख मात्र) का भुगतान करने के पश्चात अवशेष धनराशि रूपये 4,35,50,000-00 (रूपये चार करोड़ पैंतीस लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान वायुयान के भारत आने के बाद भारतीय सर्टीफिकेट आफ एयरवर्दीनेस (सी0 आफ ए0) प्राप्त करने के पश्चात लेटर आफ क्रेडिट के माध्यम से किया जायेगा। तदनुसार राज्यपाल महोदय भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा लखनऊ में लेटर आफ क्रेडिट खोलने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 30,48,50,000-00 (रूपये तीस करोड़ अड़तालिस लाख पचास मात्र) का आहरण उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या- 8443-001 में जमा धनराशि से किये जाने के उपरान्त रूपये 09,44,25,000-00 (रूपये नौ करोड़ चवालिस लाख पच्चीस हजार मात्र) अवशेष रह जायेंगे।

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- शासनादेश संख्या 10/2015/434/छप्पन-15-94/2013 टी0सी0, दिनांक 20-3-2015 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

6- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 के अशा0 संख्या- ई-7-582/दस-2015, दिनांक 02 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 48/2015/930(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अनुभाग-2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।